राज्य शहरी आजीविका मिशन (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,–सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमतीनगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक 665/241/nulm/तीन/2001(एसयूएसवी) दिनांक 01-11-2017

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
सहारनपुर, मेरठ, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, अलीगढ, गोरखपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, झांसी, लखनऊ, कानपुर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, बरेली, मऊ, मथुरा, जौनपुर, बुलन्दशहर, उन्नाव, शाहजहांपुर, सम्भल, हापुड, मिर्जापुर, फैजाबाद, अमरोहा, हरदोई, फतेहपुर एवं उरई (जालौन)।

परियोजना निदेशक/सिटी प्रोजेक्ट आफिसर
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई,
सहारनपुर, मेरठ, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, अलीगढ, गोरखपुर, गाजियाबाद, लोनी, मुरादाबाद, झांसी, लखनऊ, कानपुर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, बरेली, मऊ, मथुरा, जौनपुर, बुलन्दशहर, उन्नाव, शाहजहांपुर, सम्भल, हापुड, मिर्जापुर, फैजाबाद, अमरोहा, हरदोई, फतेहपुर एवं उरई (जालौन)।

विषय : दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी पथ विकेताओं को सहायता के अन्तर्गत सर्वेक्षित शहरी पथ विकेताओं का आधार पहचान पत्र नम्बर एवं मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से जोडे जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी पथ विकेताओं को सहायता के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 11.10.2017 को सूडा के सभागार में लखनऊ, कानपुर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी एवं आगरा शहरों में शहरी पथ विकेताओं हेतु किये जा रहे कार्य/प्रगति के संबंध में कन्सल्टेन्टों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया।

उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के पश्चात प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यकम विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी शहरों में सर्वेक्षित/पंजीकृत शहरी पथ विकेताओं का आधार पहचान पत्र नम्बर एवं मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से सूची में अंकित किया जाय एवं सुझाव दिया गया कि पथ विकेताओं से रोज कलेक्ट की जाने वाली फीस सी0एल0सी0/ए0एल0एफ0/पथ विकेता संघों के माध्यम से एकत्र की जाये।

अतः अनुरोध है कि प्रमुख सचिव महोदय द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देश/सुझावों के संबंध में आपके शहर में योजनान्तर्गत कार्य कर रही एजेन्सी/कन्सल्टेन्टों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें कि सर्वेक्षित/पंजीकृत शहरी पथ विकेताओं का आधार पहचान पत्र नम्बर एवं मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से 15 दिनों के अन्दर सूची में अंकित करने हेतु अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करते हुए समयबद्ध तरीके से कार्यवाही प्रारम्भ करने तथा सर्वेक्षित/पंजीकृत शहरी पथ विकेताओं की सूची की फाइनल प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2 परियोजना अधिकारी, डूडा, सहारनपुर, मेरठ, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, अलीगढ, गोरखपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, झांसी, लखनऊ, कानपुर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, बरेली, मऊ, मथुरा, जौनपुर, बुलन्दशहर, उन्नाव, शाहजहांपुर, सम्भल, हापुड, मिर्जापुर, फैजाबाद, अमरोहा, हरदोई, फतेहपुर एवं उरई (जालौन) को अनुपालनार्थ।
3 संबंधित एजेन्सी/कन्सल्टेन्ट को अनुपालनार्थ।
4 सहायक बेवमास्टर, सूडा को सूडा की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक